न्यायालय तहसीलदार, बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 63/24 निर्णय दिनांक 22/8/24

सरकार जरिये बनाम श्री शंकुलाल पिता गोपी रेगर

पटवार हल्का जयनगर नि० पीपली खेड़ा

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

निर्णय

पत्रावली आज मुकाम बेगूं पर पेश हुई। संक्षिप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का जयनगर ने इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि श्री शंकुलाल पिता गोपी रेगर ने तहसील बेगूँ के ग्राम पीपली खेड़ा में स्थित आराजी नम्बर 674/70 रकबा 0.5150 किस्म चारागाह/बिलानाम पर दोराने सम्वत् 2081 खरीफ में अनाधीकृत रूप से भूमि को मक्का मूंगफली फसल काश्त अतिक्रमण किया है।

उक्त आशय की रिपोर्ट पेश होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस अन्तर्गत धारा 91(3) एवं धारा 91(6) एल.आर.एक्ट में जारी किया जो विधिवत रूप से तामील करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अतिक्रमी ने उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य में अतिक्रमित क्षैत्र अतिक्रमी के नाम नियमन योग्य नहीं पाया जाता है। अतः अतिक्रमी को ग्राम पीपली खेड़ा में स्थित खसरा नम्बर 674/70 रकबा 0.5150 किस्म चारागाह/बिलानाम भूमि से बेदखली का निर्णय पारित किया जाता है। जुर्माना लगान 3.00 रू. का 50 गुणा राशि 150=/- रूपये आरोपित किये जाते है। जो वसूल हो।

निर्णय बमुकाम लिखाया जाकर सुनाया गया।

पालनार्थ पटवारी एवं मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

तहसीलदार
तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

तहसीलदार
बेगूँ